

AUTHUM ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: 707, सैंड्रा सेक्टर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नर्मदन पॉइंट, मुम्बई-21, दूरभाष: (022) 6747 2117 फैक्स: (022) 6747 2118 ई-मेल: info@authum.com					
शाखा कार्यालय भोपाल का पता यथा आई ब्रांच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, गुरु आर्कडेंड, प्लॉट नंबर-153, रामगंगावाहा माहेश्वरी मार्ग, जेठन 1-एम्पी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462016					
शाखा कार्यालय इंदौर का पता :- छाया वार्ड ब्रांच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एम-12 से 16, ग्राउंड फ्लोर, कॉमर्स हाउस, 7 रेसकोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001					
कच्चा सूचना					
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)					
जबकि अधोहस्ताक्षरी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएल") (प्रीमियम कंपनी, जो एनसीएलटी के दिनांक 10.05.2024 के आदेश के तहत रिलायंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ("आरसीएफएल") से एआईआईएल में उधार कर्तव्य के विभाजन के अनुवर्णन में चली है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विविध परिचर्यावली का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) के साथ पंक्ति [नियम 3] के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डक नोटिस की प्रतिलिपी को 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग सूचना जारी की है।					
कर्जदार/सह-कर्जदार द्वारा राशि चुकाने में अग्रसर रहने के कारण, कर्जदार/सह-कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पंक्ति प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथियों पर ले लिया है।					
विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदारों और आम जनता को स्पष्टित से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संबंधित से संबंधित कोई भी लेन-देन अधिन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएल") के प्रचार के अंगीन होगा।					
कर्जदार/ सह-कर्जदारों/ बंधककर्ताओं (ओं) का ध्यान प्रतिभूत परिचर्यावली को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध समय में सरकारी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।					
अचल संपत्ति का विवरण					
क्र. सं.	ऋण खाता सं./कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि	कच्चे की तिथि/कच्चे की स्थिति	मांग सूचना में राशि (₹.)	
1.	RLALBHO000335989 एवं RLALBHO000336810 श्री बलवान सिंह रावत पुत्र रघु, श्री रीतान सिंह और श्रीमती प्रीति बलवती सिंह रावत उर्फ श्रीमती प्रीति बाई पत्नी श्री बलवान सिंह रावत	22-दिस-2022	18.08.2026 भौतिक कच्चा	₹. 54,66,988/- (रुपये चौवन लाख छियासठ हजार बी सौ अठ्ठासी मात्र)	
संपत्ति का विवरण: 2043.5 वर्ग फुट प्लॉट एरिया वाली एक हायरगैट डेजमी का टुकड़ा, जो रेवेन्यू सर्वे नंबर 1086 और 1087 को जमीन का हिस्सा है और वार्ड नंबर 8, वैद्यवती मार्ग, तारसील और जिला फिरोजा (म.प्र.) में स्थित है। सीमाओं का विवरण:- पूर्व में:- लालमियां, पश्चिम में:- विक्रेता की जमीन, उत्तर में:- लालमियां, दक्षिण में:- 30 फीट चौड़ी रोड।					
2.	RHAHIND000019441 और RHATIND000019496 (1) श्री संतोष खरे एवं (2) श्री विशान लाल	06 मई, 2025	20.08.2026 भौतिक कच्चा	₹. 26,78,120.53 (रुपये छब्बीस लाख अठ्ठान हजार एक सौ बीस और तिरपन पैसे मात्र) 26.04.2025 तक	
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह हिस्सा यानी घरक अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 01, पाली मंजिल, प्लॉट नंबर 256, इंदुपुरी कॉलोनी, गाँव-साँटा, तारसील-महू, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश, पुराने विन्ड-आर एरिया 900 वर्ग फुट या 83.64 वर्ग मीटर। डक संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व में - प्लॉट नंबर 259, पश्चिम में - कॉलोनी की सड़क, उत्तर में - प्लॉट नंबर 255, दक्षिण में - प्लॉट नंबर एम-02 और कॉमन फेरेज।					
3.	RLELIND000394134 और RLELIND000395579 करामत बेग, श्रीमती मेहनवीन करामत बेग, अफजल बेग, और हाफिज अपने कानूनी उत्तराधिकारियों (श्रीमती शबनम बेग, अफजल बेग, जीया बेग, अरशद बेग, सारुफा बेग अपनी माँ के जरिए नायालिंग, सयनम बेग, अरुन नायालिंग होने से अपनी माँ सयनम बेग के जरिए) के माध्यम से	21 मई, 2026	18.08.2026 सांकेतिक कच्चा	₹. 82,98,645.22 (रुपये बयासी लाख अठ्ठानवे हजार छह सौ पैतालसी मात्र)	
संपत्ति का विवरण: 1. संपत्ति का वह हिस्सा जो मकान नंबर 209/1 (राम मंदिर मार्ग के मध्य भाग का पूर्वी हिस्सा) और मकान नंबर 335/2 (दक्षिणी भाग) से संबंधित है; गाँव मंदिर, गोंदर नंबर 08, बाई नंबर 13, मोहल्ला जुना राम मंदिर मार्ग, तारसील मोहरवार, खरगोन में स्थित, जिसका माप 1500 वर्ग फुट है। (श्री हाफिज बेग की संपत्ति) और सीमाएँ इस प्रकार हैं: सीमाएँ- राम मंदिर मार्ग के मध्य भाग में स्थित मकान नंबर 209/1 का पूर्वी हिस्सा - पूर्व:- मकान नंबर 335/2 पश्चिम:- मकान नंबर 209/1 उत्तर:- डक भूमि का रोप भाग दक्षिण:- गांधि का मकान, तारसील नंबर 335/2 का दक्षिणी भाग - पूर्व:- यहूक पश्चिम:- मकान नंबर 209/1 उत्तर:- डक भूमि का रोप भाग दक्षिण:- गांधि का मकान					
2. मकान नंबर 362 और सर्वे नंबर 370 का उत्तरी हिस्सा, काली मस्जिद, दलालपुरा, तारसील मोहरवार, खरगोन, जिसका क्षेत्रफल 882 वर्ग फुट है (श्री अफजल बेग की संपत्ति) और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व:- सड़क उत्तर:- सड़क पश्चिम:- साकारी सड़क दक्षिण:- विक्रेता का मकान					
3. संपत्ति का वह हिस्सा यानी प्लॉट नंबर 370, काली मस्जिद, दलालपुरा, तारसील मोहरवार, खरगोन, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है (श्री करामत बेग की संपत्ति) और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व:- गली उत्तर:- अकस्मिक मस्जिद पश्चिम:- सड़क दक्षिण:- हनीफ उर्रमान अंजारी					
दिनांक : 24.08.2026/ स्थान : मध्य प्रदेश अधिकृत प्राधिकारी, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड					

आरबीएल बैंक लि.					
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001 शाखा कार्यालय: आरबीएल बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, वीवा कॉम्प्लेक्स, परमियल गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद — 380006					
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पंक्ति प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में प्रसारित अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना					
एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित आरबीएल बैंक लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता/बैंक") के पक्ष में बंधक/प्रसारित अचल संपत्तियों (जिन्हें सांकेतिक रूप से "संपत्ति" कहा गया है), जिनका सांकेतिक कच्चा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि नीचे विवरणित है, ग्रहण किया जा चुका है, उन्हें दिनांक 18.09.2026 को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है", "जो कुछ है" के आधार पर तथा "बिना किसी प्रत्यावर्तन के" आधार पर नियम 8 एवं नियम 9 के अंतर्गत नीचे दिए गए ई-नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोलियों आमंत्रित कर बैंक की नीचे विवरणित बकाया देय राशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली हेतु विक्रय किया जाएगा।					
पक्षकारों, बकाया देय राशि तथा संपत्ति का संक्षिप्त विवरण					
उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम	बंधककर्ता द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत मांग सूचना एवं कच्चा सूचना की तिथि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली बुद्धि राशि:	ई-नीलामी की तिथि/समय
1) श्री सदाशिव सुधाकर नादेकर (आवेदक)	श्री सदाशिव सुधाकर नादेकर और श्रीमती अश्विनी सदाशिव नादेकर के स्वामित्व में संपत्ति	₹. 13,89,040 /— (₹. तेरह लाख नवासी हजार चालीस मात्र) दि.02 /05 /2025 तक	20.09.2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य: ₹. 29,00,000 /— (₹. उनतीस लाख मात्र) ईएमडी: आरक्षित मूल्य का 10%	09.10.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक
2) श्रीमती अश्विनी सदाशिव नादेकर (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता) डब्ल्यूएल सदाशिव सुधाकर नादेकर पत्राचार का पता	आवासीय प्लॉट सं. 422 का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि "इशान विस्टा" भूमि राजख सर्वेक्षण वार्ड सं. का हिस्सा लगभग क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट या 15.67 वर्ग मीटर 23, 23, 24, 25, 72, 73, 74 गांव, रसुलिया जागीर, वार्ड नं. 81, तहसील हुजूर जिला भोपाल, मध्य प्रदेश 462 042 सीमाएं: पूर्व — प्लॉट नं. 405, दक्षिण — प्लॉट नं. 423, पश्चिम — कॉलोनी रोड, उत्तर — लॉट नं. 421	मांग सूचना दिनांक 02.05.2025	मांग सूचना दिनांक 26.02.2026 को लिया गया	बोली बुद्धि राशि: रुपये 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)	08.10.2026 को राय 5:00 बजे तक अथवा उससे पूर्व
1) श्री जितेंद्र कुमार वर्मा पुत्र धुलजी वर्मा (आवेदक)	श्रीमती मनीषा जितेंद्र कुमार वर्मा पत्नी जितेंद्र कुमार वर्मा के स्वामित्व में संपत्ति	₹. 10,86,497 /— (₹. दस लाख छियासी हजार चार सौ सत्तान्ने मात्र) दि. 20 /10 /2025 तक	20.09.2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य: ₹. 15,55,000 /— (₹. पंद्रह लाख पच्चपन्न हजार मात्र) ईएमडी : आरक्षित मूल्य का 10%	09.10.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक
2) श्रीमती अश्विनी सदाशिव नादेकर पत्नी जितेंद्र कुमार वर्मा (सह — आवेदक एवं बंधककर्ता) पत्राचार का पता	अचल प्लॉट सं. 43 का समस्त भाग एवं अंश जोकि साथ ही उस पर खंडी निर्मित संपत्ति वार्ड नं.22, सरल नं. 519, पैकी दक्षिण भाग, वैशाली एवेन्यू कॉलोनी, 38.00 वर्ग मीटर, तहसील एवं जिला देवास मध्य प्रदेश 422 209	मांग सूचना दिनांक 20.10.2025	मांग सूचना दिनांक 13.03.2026 को लिया गया	बोली बुद्धि राशि: रुपये 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)	08.10.2026 को राय 5:00 बजे तक अथवा उससे पूर्व

- नियम एवं शर्तें :
- ई-नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> एवं <https://www.rblbank.com/pdf-pages/news> पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों का अवलोकन कर लें।
 - बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति एवं उसके डिमेंडों का निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होना पूर्णतः बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।
 - इच्छुक बोलीदाता अपने ईएमडी का विवरण एवं दस्तावेज वेब पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। (यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ईएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, वीवा कॉम्प्लेक्स, परमियल गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद — 380006 के पक्ष में दिनांक 08.10.2026 को अथवा उससे पूर्व रात 5:00 बजे तक देना होगा।
 - इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी हेतु मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ऑनलाइन प्रशिक्षण/साहायता प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क संख्या: 7291981124 / 25 / 26 संपर्क व्यक्ति: श्री भाविक पंखा, मोबाइल संख्या: 8866682937, ई-मेल: gujaral@c1india.com तथा maharashtra@c1india.com संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु श्री अल्पेश शाह, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल संख्या: 9825044697 / 9909913111, ई-मेल: alpesh.shah@rblbank.com से संपर्क किया जा सकता है।
 - बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा/अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।
 - परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा।
 - यदि बोली सफल नहीं होती है, तो ईएमडी बिना किसी ब्याज के केवल 02 कार्य दिवसों के उपरांत वापस की जाएगी।
 - भुगतान का समय एवं तरीका:
 - प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने पर, विक्रय मूल्य का 25%, जिसमें ईएमडी का 10% सम्मिलित होगा, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा किया जाएगा।
 - शेष राशि, बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा की जाएगी।
 - भुगतान में चूक होने की स्थिति में, जमा की गई समस्त राशि, जहाँ लागू हो, सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा सरफेसी नियमों के प्रावधानों के अनुसार जब्त कर दी जाएगी।
 - उपपुर्णुत विक्रय, बैंक की अंतिम स्वीकृति के अधीन होगा।
 - इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे विक्रय/संपत्ति कर, विद्युत बकाया, सोसायटी बकाया तथा अन्य वैधानिक एवं देय बकायों का संबंधित विभागों/कार्यालयों से स्वयं सत्यापन/पुष्टि कर लें। उपपुर्णुत बकायों के भुगतान के संबंध में बैंक कोई उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करेगा।
 - उपपुर्णुत वर्णित प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में दिए गए विवरण अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त सूचना के आधार पर अंकित किए गए हैं, तथापि उक्त विवरणों में किसी त्रुटि, गलत कथन अथवा किसी तथ्य के छूट जाने के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगा। अतः भावी क्रेताओं/निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने हित में उक्त विवरणों तथा प्रतिभूत आस्तियों से संबंधित अन्य सभी तथ्यों की स्वयं जांच एवं पुष्टि कर लें।
 - विक्रय, इस विज्ञापन में निहित नियम एवं शर्तों तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित नियम एवं शर्तों के अधीन पूर्णतः होगा।
 - बोलीदाता/निविदाकार/प्रस्तावदाता अपनी आगामी बोली/प्रस्ताव में रुपये 50,000 /— (रुपये पचास हजार मात्र) के गुणकों में वृद्धि करेंगे।
 - अफल बोलीदाता/प्रस्तावदाता, बिधि के अनुसार लागू समस्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा विक्रय प्रमाण-पत्र के पंजीकरण हेतु होने वाले समस्त आनुषंगिक व्यय स्वयं वहन करेगा।
 - प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को स्थगित/रद्द/निरस्त करने का पूर्ण एवं निरपेक्ष अधिकार होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के इस विक्रय की किसी भी नियम एवं शर्त में संशोधन करने का भी अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक 30 दिवस का विक्रय सूचना

एतद्वारा उधारकर्ता, गारंटर(री) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपपुर्णुत राशि के साथ उस पर देय आगामी ब्याज तथा दस्तावेज एवं अन्य ब्याज एवं व्यवहार दस्तावेजों के अनुसार देय अन्य राशियों का भुगतान कर, अन्यथा बकाया देयों की वसूली हेतु उक्त संपत्ति का नीलाम/विक्रय कर दिया जाएगा।

स्थान: इंदौर तिथि: 22.08.2026

हस्ता/—

प्राधिकृत अधिकारी

आरबीएल बैंक लि.

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED			
CIN: U67100GJ2015PTC083994			
Address: 1st Floor, Wakefield House, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbai 400038			
कच्चे की सूचना			
फिनोवा कीप्टल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कच्चे का विवरण।			
ऋण खाता नं./ उधारकर्ता/गारंटर/ प्रतिभूत प्रदाता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	कच्चा की तिथि	बंधक संपत्तियों का विवरण
ऋण खाता संख्या: 60066660 मेघराज सेन (उधारकर्ता)/बंधककर्ता) 1. रौना सेन (सह-उधारकर्ता), दूरतः 159	27-मई-2025 , ₹. 2,91,570 (रु. दो लाख इक्यानेव हजार पाँच सौ सत्तर मात्र) 31-मार्च-25 तक	20-अगस्त-2026 (भौतिक कच्चा)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पी.एच. नंबर 36, खसरा नंबर 147 का भाग, ग्राम देहरी, तहसील खुमरज, जिला गुना (म.प्र.) 473222, जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग फुट है, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व: पवन चट्टान, पश्चिम: ब्रजेश सेन का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: रास्ता
ऋण खाता संख्या: 5033482 मोहर सिंह (उधारकर्ता)/बंधककर्ता) 1. रुकमणी लोधा 2. रामकेश लोधा 3. पुनी बाई (सह-उधारकर्ता), दूरतः 159	27-सितंबर-2025 , ₹. 3,66,165 (रु. तीन लाख छियास हजार एक सौ पैंसठ मात्र) 31-मार्च-25 तक	19-अगस्त-2026 (भौतिक कच्चा)	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि पी.एच. नंबर 34, सर्वे नंबर 678 /10 /मिन-1 /मिन-1 /मिन-1 का भाग, ग्राम अवन, तहसील राधोगढ़, जिला गुना (म.प्र.) 473226, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट है, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व: बनारी का मकान, पश्चिम: लीलम बाई का मकान, उत्तर: नंद का मकान, दक्षिण: सड़क
प्राधिकृत अधिकारी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (सीएफएमएआरसी) दूरतः - 159 के दूरती के रूप में अपनी हस्तात से कार्यरत।			


CSB Bank
 Trustful Heritage Smart Future

गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के संबंध में सार्वजनिक सूचना

विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं तथा सामान्य रूप से इच्छुक बोलीदाताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी भुगतान सूचना और शिफॉर/नीलामी सूचना के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा बैंक की निम्नलिखित देय राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए बैंक के तहत प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों को शाखा परिसर में 25 सितंबर 2026 को प्रातः 10.30 बजे "जैसा है जहाँ है" और "बिना किसी प्रतिकार के" आधार पर सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा। बैंक के विवेकाधिकार पर बैंक के सूचना पट्ट पर इसकी सूचना प्रकाशित किए जाने के पश्चात नीलामी को किसी अन्य बाकी की तारीख तक स्थगित किया जा सकता है। उधारकर्ताओं को एतद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि स्वर्ण आभूषणों का निपटारा सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी द्वारा किया जाएगा, यदि नीलामी सफल नहीं होती है और उसके बाद भी बावजूद की जाने वाली कोई भी राशि एंजली है, तो बैंक को देय राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के विक्रद कार्गु करवाई शुरू की जाएगी। "मूलतः उधारकर्ता के मामले में, सभी शर्तें कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।"

क्र. सं.	नीलामी केंद्र सी.सी.एस.सी. शाखा	खाता के नाम	घटक आई.डी.	खाता की राश्या	20-08-2026 तक बकाया राशि	वजन (ग्राम में)
1	उज्जैन उज्जैन	अजय योगेश प्रजापति	03892977	0001	1,26,864.32	24.00
2	इंदौर इंदौर	इंदिरा मिश्रा	04546006	0003	8,81,852.81	156.90
3	कोलार रोड-भोपाल	मंजिर एल नंदीरिया	02727707	0002	21,14,548.99	216.82
4	कोलार रोड-भोपाल	पंकज विवेकामा	08327664	0001	4,98,354.95	51.63
5	कोलार रोड-भोपाल	पंकज विवेकामा	04643529	0001	28,605.16	5.20
6	कोलार रोड-भोपाल	सीतन चौधे	10284548	0001	6,47,699.83	56.98
7	कोलार रोड-भोपाल	ब्रजेश पावक	07824559	0001	28,452.38	32.00
8	बावपुरा मंगलगुन रोड	बी. कुमार कनोजिया	08251460	0001	1,15,664.53	22.18
9	बावपुरा मंगलगुन रोड	शिवम ठाकुर	10222593	0001	2,86,040.99	38.60

अधिक विवरण/खाता-नंबर जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं।
 हस्ता - अधिकृत अधिकारी, सी.सी.एस.सी.

मार्च 2026 | 23.08.2026

अधिक विवरण/खाता-अंतर जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं

मध्य प्रदेश | 23.08.2026 हस्ता/—अधिकृत अधिकारी, सी.सी.एस.सी. बैंक लि.

ई-नीलामी विक्रय सूचना (सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत)



RBL BANK

apno ka bank

आरबीएल बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001
शाखा कार्यालय: आरबीएल बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, वीवा कॉम्प्लेक्स, परमियल गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद — 380006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में प्रसारित अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित आरबीएल बैंक लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता/बैंक") के पक्ष में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में प्रसारित अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित आरबीएल बैंक लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता/बैंक") के पक्ष में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में प्रसारित अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित आरबीएल बैंक लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता/बैंक") के पक्ष में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में प्रसारित अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम	बंधककर्ता द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत मांग सूचना एवं कब्जा सूचना की तिथि	निरीक्षण तिथि स
1) श्री सदाशिव सुधाकर नादेकर (आवेदक) 2) श्रीमती अश्विनी सदाशिव नादेकर (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता) डब्ल्यूओ सदाशिव सुधाकर नादेकर पत्राचार का पता 1) मकान नंबर 422, ईशान विस्टा कॉलोनी, रसुलिया जागीर, तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश 462042 2) मकान नंबर 20, अजगोअन, खेदिकला, चिनवारा, मध्य प्रदेश	श्री सदाशिव सुधाकर नादेकर और श्रीमती अश्विनी सदाशिव नादेकर के स्वामित्व में संपत्ति आवासीय प्लॉट सं. 422 का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि "इशान विस्टा" भूमि राजस्व सर्वेक्षण वार्ड सं. 4 का हिस्सा लगभग क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट या 15.67 वर्ग मीटर 22, 23, 24, 25, 72, 73, 74 गांव, रसुलिया जागीर, वार्ड नं. 81, तहसील हुजूर जिला भोपाल, मध्य प्रदेश 462 042 सीमाएं: पूर्व – प्लॉट नं. 405, दक्षिण – प्लॉट नं. 423, पश्चिम – कॉलोनी रोड, उत्तर – लॉट नं. 421	रु. 13,89,040 /- (रु. तेरह लाख नवासी हजार चालीस मात्र) दि.02 /05 /2025 तक मांग सूचना दिनांक 02.05.2025 सांकेतिक कब्जा दिनांक 26.02.2026 को लिया गया	20.05 को 11:00 से 12:00 तक
1) श्री जितेंद्र कुमार वर्मा पुत्र धुलजी वर्मा (आवेदक) 2) श्रीमती मनीषा जितेंद्र कुमार वर्मा पत्नी जितेंद्र कुमार वर्मा (सह – आवेदक एवं बंधककर्ता) पत्राचार का पता प्लॉट नंबर 43, वार्ड नंबर 22, सरल नंबर 519, वैशाली एवेन्यू कॉलोनी, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश 422209	श्रीमती मनीषा जितेंद्र कुमार वर्मा पत्नी जितेंद्र कुमार वर्मा के स्वामित्व में संपत्ति अचल प्लॉट सं. 43 का समस्त भाग एवं अंश जोकि साथ ही उस पर खड़ी निर्मित संपत्ति वार्ड नं.22, सरल नं. 519, पैकी दक्षिण भाग, वैशाली एवेन्यू कॉलोनी, 36.00 वर्ग मीटर, तहसील एवं जिला देवास मध्य प्रदेश 422 209	रु. 10,86,497 /- (रु. दस लाख छियासी हजार चार सौ सत्तान्चे मात्र) दि. 20 /10 /2025 तक मांग सूचना दिनांक 20.10.2025 सांकेतिक कब्जा दिनांक 13.03.2026 को लिया गया	20.05 को 11:00 से 12:00 तक